

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,  
05, हार्डिंग रोड, पटना-800001

(वेबसाइट:- <https://bpssc.bihar.gov.in>)

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में "आशु सहायक अवर निरीक्षक" (**Steno Assistant Sub-Inspector**) के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु पाठ्यक्रम।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया:-नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं पात्रता की जाँच सम्मिलित होगी।

(अ) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा:-

(i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे।

(ii) प्रथम प्रश्न-पत्र- प्रथम प्रश्न-पत्र 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 100 अंकों का सामान्य हिन्दी का होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी एवं सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जायेगा।

(iii) द्वितीय प्रश्न-पत्र- द्वितीय प्रश्न-पत्र सामान्य ज्ञान एवं समसामायिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा एवं परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा।

नोट:- (क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2(त) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी।

(ख) बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी, जो श्रुतिलेखक के माध्यम से परीक्षा दे रहे हों अथवा श्रुतिलेखक के बिना परीक्षा दे रहे हों, दोनों ही स्थिति में इन्हें प्रति घंटा की दर से 20 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूरक समय दिया जा सकता है। यह अवधि अधिकतम 60 मिनट की होगी। यदि एक घंटे से कम अवधि की परीक्षा हो, तो अनुपातिक विधि से अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। अतिरिक्त

समय 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा यह अनुपातिक रूप से 5 मिनट के गुणक में हो सकता है।

(iv) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति का 06 गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार श्रुतिलेखन आदि पात्रता की जाँच हेतु किया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी।

(ब) पात्रता की जाँच— लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुतिलेखन, हिन्दी एवं अंग्रेजी के टंकण की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जायेगी।

(i) हिन्दी श्रुतिलेखन— हिन्दी श्रुतिलेखन की जाँच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जायेगी। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को टंकण आरम्भ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

(ii) टंकण की जाँच— अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10–10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी टंकण में पाँच प्रतिशत से अधिक और अंग्रेजी टंकण में दस प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिये अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

(iii) कम्प्यूटर ज्ञान की जाँच— अभ्यर्थियों के MS-Office (Word, Excel, Power Point) तथा Internet के व्यावहारिक ज्ञान की जाँच की जायेगी। इस जाँच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

नोट:— पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित) तथा एक हाथ अथवा दोनों से दिव्यांग कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्तों से विमुक्ति दी जायेगी।